

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जून, 2009

(आयकर)

का.आ. 1492(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 138 की उप-धारा (1) के खंड (क) के उप-खण्ड (ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, एतद्वारा सतर्कता ब्यूरो, झारखंड सरकार में पुलिस अधीक्षक के रैंक के अथवा उससे ऊपर के प्रत्येक अधिकारी को उक्त खंड के प्रयोजनार्थ विनिर्दिष्ट करती है।

[अधिसूचना संख्या 48/2009/फा.सं. 225/20/2009-आ.क.नि.-II]

पदम सिंह, अवर सचिव